

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88, 53 आरटीए
प्रकरण संख्या: 304/2020

1. ईशांत कुमार झोरड़ पुत्र श्री संजीव कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

1. संजीव कुमार पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शर्मिला पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
3. अजय सिंह झोरड़ पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. विद्या देवी पत्नी स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित- श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता वादी
श्री अनिल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण



निर्णय

दिनांक :- 12.01.2021

इस वाद के निस्तारण हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी
की ओर से वादी वशावली सहित इन तथ्यों के साथ पेश हुआ कि वादी एंवम
प्रतिवादीगण के पैतृक हक हिस्सा की भूमि चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 223/243
मु० न० 3 के किला न० 5/2, 6, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 1 ता
10, प० न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 1 ता 3, 9 ता 10 कुल 3.669
हैक्टेयर मय गै० मु० खाला राजस्व रिकार्ड दर्ज है व चक 6 सी.डी.आर. के प० न०
224/242 मु० न० 66 के किला न० 66 के किला न० 16, 24, 25 व प० न०
225/242 मु० न० 65 के किला न० 11, 12, 19 ता 23 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वाद
पत्र की मद स० 3 में वर्णित भूमि वादी के दादा स्व० ओमप्रकाश पुत्र भादरराम के
नाम दर्ज है जो कि वादी की पैतृक भूमि है जिसमें वादी का जन्मतः हक हकूक
निहित है वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य घरेलू समझौता के अनुसार वादी ईशांत
कुमार झोरड़ को चक 6 सी.डी.आर. के प० न० 225/245 मु० न० 65 के किला न०
19, 20, 21, 22, 23 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई व प्रतिवादी स०
1 संजीव कुमार को चक 6 सी.डी.आर. के प० न० 224/242 मु० न० 66 के किला

hinda
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

न० 16, 24, 25 की कुल 0.759 हैक्टेयर, चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 1, 2, 3, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 1/2 में 0.152 हैक्टेयर भूमि, किला न० 10 की 0.230 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 0.989 हैक्टेयर कृषि भूमि इस प्रकार दोनो चको की कुल 1.748 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी स० 2 अजय सिंह झोरड़ को चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 223/243 के मु० न० 3 के किला न० 5/2, 6, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 10 की 0.023 हैक्टेयर दक्षिण दिशा की ओर से व प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 2 ता 9, प० न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 9, 10 कुल 2.831 हैक्टेयर भूमि मय गै० मु० खाला प्राप्त हुई व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है नजरी नक्शा कब्जा काश्त संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादिया स० 4 जो कि वादी की दादी है, ने उक्त भूमि में अपना हक हिस्सा परित्याग कर दिया है जिसके पश्चात प्रतिवादिया स० 4 का वाद पत्र में वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी स० 1 व 2 के हक व हिस्सा में से वाद पत्र की मद स० 4 के अनुसार कृषि भूमि विभाजन में प्राप्त हुई है जिसकी हद तक वादी, प्रतिवादी स० 1 व 2 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है। वादी एवम प्रतिवादीगण का मुताबिक घरेलू बंटवारा उक्तानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारो पर विपरीत असर पडता है इसलिए वादी मुताबिक बंटवारा में मिली भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त होने से उक्तानुसार सीव बंट पानी की पर्ची का झगड़ा बना रहता है इसलिए वादी मुताबिक कब्जा काश्त खाता प्रतिवादीगण से अलग कायम करवाने का अधिकारी है।

उक्त दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र रिपोर्ट कार्यालय से होने पर दर्ज रजिस्टर कर्त प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स० 1, 3 व 4 की ओर से राजीनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी स० 2 की ओर से इकबाल दावा पेश किया तथा प्रतिवादी स० 5 द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया व वादी की ओर से साक्ष्य यह कहते हुये समाप्त करवाई की वाद में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है इसलिए और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है।

बहस वकील वादी सुनी गई वकील वादी ने जाहिर किया कि वाद में प्रभावित सभी पक्षकारान द्वारा अनुतोष स्वीकार करते हुये राजीनामा व इकबाल दावा पेश कर तस्दीक करवा दिया है अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र पेशकर दिया है एवं उपखण्ड अधिपत्री नहीं आया वा ना ही किसी पक्षकार की ओर से दावा वा अनुतोष का विरोध किया

दिनांक
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिपत्री
टिब्बी

गया है सभी पक्षकार सहमत है जबाब स्टेट में भी कोई विरोध वाद वादी का नहीं है अतः दावा डिक्री किया जावे।

बहस वकील मनन किया पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया है वादी ने तथा प्रभावित प्रतिवादीगण स० 1, 3 ता 4 ने राजीनामा व प्रतिवादी स० 1 ने इकवाला दावा तथा प्रतिवादी स० 5 ने जबाब स्टेट पेश कर तर्दीक करवाया है वा दावा डिक्री किये जाने में राजीनामा व इकवाल दावा में सहमति दी है वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है व दस्तावेज पेश किये है पत्रावली पर दावा के अनुतोष के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जबाब स्टेट में भी दावा का कोई विरोध नहीं है। इसलिए वाद वादी डिक्री होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी डिक्री कर आदेश दिया जाता है कि वादी ईशांत कुमार झोरड़ को चक 6 सी.डी.आर. के प० न० 225/245 मु० न० 65 के किला न० 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई व प्रतिवादी स० 1 संजीव कुमार को चक 6 सी.डी.आर. के प० न० 224/242 मु० न० 66 के किला न० 16, 24, 25 की कुल 0.759 हैक्टेयर, चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 1, 2, 3, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 1/2 में 0.152 हैक्टेयर भूमि, किला न० 10 की 0.230 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 0.989 हैक्टेयर कृषि भूमि इस प्रकार दोनो चको की कुल 1.748 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी स० 2 अजय सिंह झोरड़ को चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 223/243 के मु० न० 3 के किला न० 5/2, 6, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 10 की 0.023 हैक्टेयर दक्षिण दिशा की ओर से व प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 2 ता 9, प० न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 9, 10 कुल 2.831 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फौसला शुमार होकर बाद तर्तीव तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



hishan
सदर जज
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

डिक्री व मुकदमें ईकादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 301/2020

ईशांत कुमार झोरड़ पुत्र श्री संजीव कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वनाग

1. संजीव कुमार पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शर्मिला पत्नी संजीव कुमार जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
3. अजय सिंह झोरड़ पुत्र स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील
टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. विद्या देवी पत्नी स्व० ओमप्रकाश जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्तु
इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री परमजीत सिंह वकील वादी मिन
जामिन मुदई श्री अनिल शर्मा प्रतिवादीगण जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी ईशांत कुमार झोरड़ को चक 6
सी.डी.आर. के प० न० 225/245 मु० न० 65 के किला न० 11, 12, 19, 20,
21, 22, 23 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई व प्रतिवादी स० 1 संजीव
कुमार को चक 6 सी.डी.आर. के प० न० 224/242 मु० न० 66 के किला न०
16, 24, 25 की कुल 0.759 हैक्टेयर, चक 7 सी.डी.आर. के प० न० 225/243
मु० न० 5 के किला न० 1, 2, 3, प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न०
1/2 में 0.152 हैक्टेयर भूमि, किला न० 10 की 0.230 हैक्टेयर भूमि इस
प्रकार कुल 0.989 हैक्टेयर कृषि भूमि इस प्रकार दोनो चको की कुल 1.748
हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी स० 2 अजय सिंह झोरड़ को चक
7 सी.डी.आर. के प० न० 223/243 के मु० न० 3 के किला न० 5/2, 6,
प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 10 की 0.023 हैक्टेयर दक्षिण
दिशा की ओर से व प० न० 224/243 मु० न० 4 के किला न० 2 ता 9, प०
न० 225/243 मु० न० 5 के किला न० 9, 10 कुल 2.831 हैक्टेयर के
खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार खाता विभाजन के
आदेश दिये जाते है पर्चा डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में
अंकन किया जावे।

निज.....X.....निल.....X.....मुक्लिक.....X.....निल.....X.....वावत्.....X.....निल.....X.....
खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयावी तक.....X.....अदा करें।
वसुल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....
को जारी किया गया।

12.01.2021



hiappa
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी